

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चाण्डिल।

अनुसूची फार्म सं०-662

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश फलक

जिला- सरायकेला-खरसावाँ

अनुमण्डल- चाण्डिल

अंचल- चाण्डिल

केस का प्रकार- जमाबंदी दर्ज करने के संबंध में।

अभिलेख सं०- 15/25-26

आदेश की कम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख का संधारण राजस्व उप निरीक्षक श्री देवाशीष महतो एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री मनोज कुमार महतो के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक मुरली मनोहर साहु के द्वारा परिशोधन पोर्टल में शिकायत सं०- PRI2406020325731732025319132527554, दिनांक- 19.03.2025 के द्वारा मौजा- आसनबनी, खाता सं०- 288, प्लॉट सं०- 2448, 2451 खाता सं०- 289, खाता सं०- 2452 अन्तर्गत भूमि कम्प्यूटराईजेशन के दौरान निम्न आवेदित भूमि का छुटे हुए जमाबंदी की ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में जाँच किया गया। जाँचोपरान्त प्रतिवेदित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :-

क०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा (डी० में)	पंजी II रैयत का नाम
1	2	3	4	5	6
1	आसनबनी/ 325	288	2448	20	(1) मुरली मनोहर साहु (2) श्री विशेश्वर साहु, पिता- स्व० मानु साहु, ना०मु०सं०- 07/08-09 के अनुसार
			2451	06	
		289	2452	03	
कुल				29 डी०	

उक्त भूमि का जमाबंदी पंजी II में संधारित नहीं पाया गया। कार्यालय में उपलब्ध नामांतरण अभिलेख एवं पंजी-27 से मिलान करने पर पाया गया कि मौजा- आसनबनी, थाना सं०- 325, खाता सं०- 288, प्लॉट सं०- 2448, रकवा- 20 डी०, प्लॉट सं०- 2451, रकवा- 06 डी० तथा खाता सं०- 289, प्लॉट सं०- 2452, रकवा- 03 डी० भूमि नामांतरण वाद सं०- 07/2008-09 के द्वारा नामांतरित होकर (1) मुरली मनोहर साहु (2) श्री विशेश्वर साहु, पिता- स्व० मानु साहु के नाम पर दर्ज है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, नामांतरण शुद्धि पत्र की प्रति, नामांतरण अभिलेख की प्रति, पंजी-27 की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त भूमि का ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित

अंचल अधिकारी
चाण्डिल।

अंचल अधिकारी,
चाण्डिल।